मध्यप्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ12–12/2020/पी–1/इकतीस भोपाल, दिनांक /01/2021

प्रति,

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
तुलसी नगर भंपाल ।

विषय :– नियमित/कार्यभारित स्थापना में नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त कर्मचारियो को सातवे वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने बाबत ।

सन्दर्भ – आपका एकल नस्ती कमांक 3326800/353/2015/757 /534/प्र.अ/20 दिनांक 08.07.2020

––000––

विषयान्तर्गत सन्दर्भित एकल नस्ती प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ सन्दर्भित प्रस्ताव में श्री गुलाबसिंह सोलंकी तदर्थ कार्यभारित कर्मचारी एव अन्य 14 तदर्थ कार्यभारित कर्मचारियो को सातवां वेतनमान का लाभ दिये जाने के सबंध में वित्त विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर अवगत कराने का प्रस्ताव में उल्लेख किया गया था।

2/ वित्त विभाग द्वारा प्रकरण में अभिमत दिया गया है कि "विभागीय प्रस्ताव के बिन्दु कमांक 3 अनुसार प्रकरण में गुण दोष के आधार विभाग द्वारा ही निर्णय लिये जाने का परामर्श है।"

3/ वित्त विभाग द्वारा दिये अभिमत अनुसार प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु विभाग द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति के गठन के आदेश दिनांक 18.12.2020 की प्रति संलग्न है ।

4/ अतः अनुरोध है कि विभागीय समिति के समक्ष श्री सोलंकी एवं अन्य 14 तदर्थ कार्यभारित कर्मचारियो को सातवा वेतनमान का लाभ वित्त विभाग के अभिमत अनुसार प्रकरण का निराकरण किये जाने के संबंध में प्रकरण का परीक्षण कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव सबंधित मुख्य अभियंता से प्राप्त कर प्रत्येक प्रकरण की पूर्ण जानकारी , तथा जानकारी मय संक्षेपिका के साथ विभाग को उपलब्ध कराई जावे, ताकि विभागीय समिति की बैठक आयोजित की जा सके ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

(दिलीप नाथ गांधी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग भोपाल

पृ. क्रमाक एफ 12–12/2020/पी–1/इकतीस भोपाल, दिनांक 04/01/2021

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कंछार, जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर अग्रेषित। कृपया आपकी टीप कमांक 05/95/स्था –4–2/चं.बे./2018 दिनांक 16.06.2020 में उल्लेखित 15 दैनिक वेतनभोगियो समयपालो को सातवे वेतनमान का लाभ दिये जाने संबंधी प्रत्येक प्रकरण की पृथक–पृथक समग्र जानकारी सहित विभाग द्वारा गठित की गई उच्च स्तरीय समिति के समक्ष समिति द्वारा आयोजित बैठक के समय प्रस्तुत करे एवं बैठक में उपस्थित रहने का कष्ट करे।

2/ बेब मेनेजर कार्यालय,प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर विभाग की बेबसाईट पर प्रविष्टि हेतु ।

04.01.21

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

—: आदेश :—

भोपाल, दिनांक 18 / 12 / 2020

क्रमांक—एफ—12—12 / 2020 / पी—1 / इकतीसः जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत नियमित / कार्यभारित स्थापना में नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:—

1/	उप सचिव (प्रशासन) मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग	संयोजक
2/	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
3/	संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
4/	मुख्य अभियंता, (आरक्षित वर्ग)	सदस्य

2/ उक्त समिति प्रकरणों का परीक्षण कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(प्रमोद कुमार खरे) 17/12/20
अवर सचिव
जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक—एफ 12—12 / 2020 / पी—1 / इकतीस भोपाल, दिनांक 18 / 12 / 2020

प्रतिलिपि—

1/ उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2/ प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल।
3/ संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
4/ मुख्य अभियंता (आरक्षित वर्ग), जल संसाधन विभाग।
5/ वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट पर प्रविष्टि हेतु।
6/ स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

17/12/20
अवर सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग